भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या **33B/2017-18**

बैजनाथ महतो बनाम **उषा रानी महतो**

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15.9.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 623 दिनांक 18.08.2017 द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 33 B / 2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता बैजनाथ महतो पिता-स्व० बोलाई महतो, ग्राम-टांगरानी, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता श्रीमति उषा रानी महतो, पति - पूर्ण चन्द्र महतो, ग्राम- मुण्डाकाटी, थाना-राजनगर, जिला- सरायकेला-खरसावाँ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
छोटाखिरी	64	02	302 / अंशिक	0.12 ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पितामाह उदित महतो के नाम से हाल सर्वे खतियान पंजी-II में दर्ज है। बिक्री की जाने वाले भूमि में बिक्रेता का हक एवं हिस्सा 0.32 ए0 एवं अन्य खाता सं0-2.35½ ए0 भूमि है। आवेदक अपने हिस्से की अंशिक जमीन की बिक्री हेतु आवेदन किये हैं, जिसमे से 0.12 ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् उनके हिस्से में 2.55½ए0 एकड़ भूमि शेष बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी ' अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.12 ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

15/9/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,